



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266375
CG-DL-E-25092025-266375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4167]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4167]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

का.आ. 4285 (अ).— पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पुनर्वास परिषद, भारत के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और इस उद्देश्य से भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1102 (अ.) दिनांक 21 अक्तूबर, 2002 में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (23) तथा (25) तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएँ तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः—

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अध्यक्षीन नियुक्ति:

(23) श्री कंवर सिंह तंवर

— सदस्य

संसद सदस्य (लोक सभा)

बंगला नंबर 1, बलवंत राय मेहता लेन,

के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

- (25) डॉ. परमार जशवंतसिंह सलामसिंह - सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)
7बी, मोतीलाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110011

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होकर दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी अधिक अवधि तक हो, रहेगा।

[फा. सं.एस-2906/5/2020-आरसीआई]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1102 (अ), द्वारा जारी की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 1436 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department Of Empowerment Of Persons With Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2025

S.O. 4285(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the central Government hereby appoints the following persons as member to the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 1102(E) dated the 21st October, 2002, with effect from the date of publication of this notification, namely:-

In the said notification, for serial numbers (23) and (25) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (h) of the sub-section (3) of section 3:

- | | | |
|------|---|----------|
| (23) | Shri Kanwar Singh Tanwar
Member of Parliament(Lok Sabha)
Bungalow No. 1, Balwant Rai Mehta Lane,
KG Marg, New Delhi-110001 | - Member |
| (25) | Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh,
Member of Parliament(Rajya Sabha)
7B, Motilal Nehru Place,
New Delhi-110011 | - Member |

The term of office of the above members shall be for a period of two years commencing from the date of this Notification or till the appointment of his successor, whichever is longer.

[F. No. S-2906/5/2020-RCI]
RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was issued vide notification number S.O. 1102 (E), dated 21st October, 2002, and last amended vide notification number S.O. No. 1436 (E), dated 26th March, 2025.